न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 55/2022 (Bank Case)

"मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री दीपक भुटानी।

– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. प्रमोद पुत्र श्री दुर्गा शंकर (ऋणी / बंधककर्ता)
   निवासी– बावडी का चौक, धुलेट, कोटा, राजस्थान 325602
   दुसरा पता– प्रमोद पलम्बर वर्क, रायपुरा, कोटा राजस्थान
   तीसरा पता– प्लॉट नम्बर 26, श्री हरि विहार, ग्राम रायपुरा, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान
2. श्रीमती स्वेता कुमारी पत्नि श्री प्रमोद
   निवासी– बावडी का चौक, धुलेट, कोटा, राजस्थान
   दुसरा पता– प्लॉट नम्बर 26, श्री हरि विहार, ग्राम रायपुरा, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान
3. कुलदीप प्रजापत पुत्र श्री दुर्गाशंकर
   निवासी– बावडी का चौक, धुलेट, कोटा, राजस्थान
   दुसरा पता– प्लॉट नम्बर 26, श्री हरि विहार, ग्राम रायपुरा, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान

(सहऋणी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 30-5-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टाव, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 24.05.2019 को 6,25,777/– (अक्षरेः छः लाख पच्चीस हजार सात सौ सत्तर रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नं0 26, श्रीहरि विहार, ग्राम रायपुरा, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में– भूखण्ड संख्या 13, पश्चिम में– रोड 40 फुट चौडा, उत्तर में– भूखण्ड संख्या 25, दक्षिण में– अन्य आराजी स्थित है, जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2019 से श्रीमति स्वेता कुमारी पत्नि श्री प्रमोद के नाम से है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 18.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 7,15,200/–(अक्षरे रूपये सात लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.03.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 22.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 22.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 22.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नं0 26, श्रीहरि विहार, ग्राम रायपुरा, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में– भूखण्ड संख्या 13, पश्चिम में– रोड 40 फुट चौडा, उत्तर में– भूखण्ड संख्या 25, दक्षिण में– अन्य आराजी स्थित है, जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2019 से श्रीमति स्वेता कुमारी पत्नि श्री प्रमोद के नाम से है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 30-5-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)